सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 153/2018 दायर दिनाँक 16.05.2018

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. रामाकिशन पुत्र भँवरू उर्फ भँवरलाल, 2. रामगोपाल पुत्र भँवरू उर्फ भँवरलाल, 3. मदनलाल पुत्र भँवरू उर्फ भँवरलाल, समस्त,जाति–माली, निवासी–आड़काबास, डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. दुर्गाराम पुत्र दुलाराम, 3. ताराचन्द पुत्र दुलाराम, 4. तुलछीराम पुत्र दुलाराम, 5. मूलाराम पुत्र दुलाराम, 6. सुरेश पुत्र दुलाराम, 7. गीता पत्नी दुलाराम, समस्त,जाति–माली, निवासी–पद्मानियाबास, डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 8. बाली पुत्र दुलाराम, जाति–माली, निवासी–खरेश, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 9. गणपतराम पुत्र नन्दाराम, जाति–माली, निवासी–पद्मानियाबास, डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 10. किशन पुत्र उदाराम, 11. गोपाल पुत्र उदाराम, 12. सीता पुत्री उदाराम, 13. मोहनी पत्नी उदाराम, समस्त,जाति–माली, निवासी–पद्मानियाबास, डीडवाना, तहसील–डीडवपाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 183, R.T.Act.

दिनाँक 11.02.2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील, वादीगण की ओर से व श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 02, 09 व 11 ता 13 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा आंशिक डिक्री सादिर कर वाके सरहद शेखाबासनी में वादग्रस्त खसरा नम्बर 133 रकबा 04.19 बीघा व खसरा नम्बर 134 रकबा 07.07 बीघा तथा खसरा नम्बर 164 रकबा 0.15 बीघा भूमियों का निस्तारण हेतु आवंटन समिति के समक्ष पेश किया जावें तथा जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि में किसी प्रकार से दखलन्दाजी नहीं करें।

नीज.....–..... मुबलिंग.....–..... बाबत.....
.....–.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....–.....
आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 11.02.2019 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 153/2018 दायर दिनाँक 16.05.2018

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. रामाकिशन पुत्र भँवरू उर्फ भँवरलाल, 2. रामगोपाल पुत्र भँवरू उर्फ भँवरलाल, 3. मदनलाल पुत्र भँवरू उर्फ भँवरलाल, समस्त,जाति—माली, निवासी—आड़काबास, डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 2. दुर्गाराम पुत्र दुलाराम, 3. ताराचन्द पुत्र दुलाराम, 4. तुलछीराम पुत्र दुलाराम, 5. मूलाराम पुत्र दुलाराम, 6. सुरेश पुत्र दुलाराम, 7. गीता पत्नी दुलाराम, समस्त,जाति—माली, निवासी—पद्मानियाबास, डीडवाना, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 8. बाली पुत्र दुलाराम, जाति—माली, निवासी—खरेश, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 9. गणपतराम पुत्र नन्दाराम, जाति—माली, निवासी—पद्मानियाबास, डीडवाना, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 10. किशन पुत्र उदाराम, 11. गोपाल पुत्र उदाराम, 12. सीता पुत्री उदाराम, 13. मोहनी पत्नी उदाराम, समस्त,जाति—माली, निवासी—पद्मानियाबास, डीडवाना, तहसील—डीडवपाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 88, 188, R.T.Act.

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 153/2018
दायर दिनाँक 16.05.2018, निर्णय दिनाँक 11.02.2019
रामाकिशन, वगैरा बनाम् तहसीलदार डीडवाना, वगैरा।

उपस्थितः–

1. श्री अजीतसिंह राठौड, वकील, वादीगण की ओर से।
2. श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 02, 09 व 11 ता 13 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 11.02.2019

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि, सरहद शेखाबासनी के खसरा नम्बर 133 रकबा 04.19 बीघा व खसरा नम्बर 134 रकबा 07.07 बीघा व खसरा नम्बर 164 रकबा 0.15 बीघा के गत खसरा नम्बर 121 मी. रकबा 13.18 बीघा व खसरा नम्बर 121 भी. रकबा 0.10 बीघा व खसरा नम्बर 121 मी. रकबा 13.18 बीघा थे। वर्तमान खतौनी व खसरा मिलान तथा खतौनी सम्वत् 2000 की छायाप्रति व प्रमाणित प्रतिलिपि वाद के साथ पेश है।

वादग्रस्त खसरान् 133, 134 व 164 की भूमियों पर वादीगण के पिता भँवरू का कब्जाकाश्त आदि काल से रहा था। वादीगण के पिता के इन्तकाल के बाद वादीगण का कब्जाकश्त आज दिन तक शांतिपूर्वक चला आ रहा है।

रहीम व याकूब का कब्जाकाश्त वादित भूमि पर कभी नहीं रहा। आजादी से पहले से वादित भूमि पर कब्जाकाश्त वादीगण के पिता का ही चला आ रहा है। वादीगण के पिता ने वादित खसरान् की भूमि की बिगौड़ी सम्वत् 2009–20 तक की राज्य सरकार को अदा की है। वादीगण के पिता भँवरू पुत्र सुखा का नाम गिरदावरी सम्वत् 2010–20 में भी दर्ज है इसके अलावा वादीगण का कब्जाकाश्त शान्तिपूर्वक होने के कारण गिरदावरी सम्वत् 2031–34 तक राज्य सरकार के रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। गिरदावरी स्लिप की छायाप्रतियाँ वाद के साथ पेश है। वादित भूमि पर वादीगण का कब्जा प्रतिकूल कब्जा के आधार पर भी खातेदारी प्राप्त करने के अधिकार प्राप्त हो चुके हैं जिस हेतु यह वाद पेश है।

वादीगण के पिता भँवरू पुत्र सुखा के अलावा वादित खसरान् में नन्दा पुत्र दला का भी कब्जाकाश्त था मगर नन्दा के वारिसान् दुलाराम, गणपतराम व उदाराम पुत्रगण नन्दा ने जरिये इकरारनामा बैचाण के अनुसार वादीगण को दिनाँक 27.07.2000 को सम्पूर्ण प्रतिफल राशि

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

प्राप्त कर अपने हिस्से की भूमि वादीगण को बैचाण कर दी तथा कब्जा सुपुर्द कर दिया। इकरारनामा बैचाण दिनाँक 27.07.2000 की छायाप्रति वाद के साथ पेश है।

वादित खसरान् बाबत् की भूमि पर कब्जाकाश्त आज भी वादीगण का है इसलिए वादीगण को घोषणा खातेदारी का दावा करना लाजमी आया है।

वादित भूमि की खातेदारी में वादीगण का नाम नहीं होने से वादीगण ने दिनाँक 13.12.2017 को राज्य–सरकार को कानूनी नोटिस दिया। यदि वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं तो अजहद नुकसान होगा, इसलिए वादीगण को वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना लाजमी आया है।

प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 08 के पिता व पति तथा प्रतिवादी संख्या 09 तथा प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 12 के पिता तथा प्रतिवादी संख्या 13 द्वार वादित खसरान् का बैचाण जरिये इकरारनामा वादीगण के पक्ष में कर दिया मगर उक्त वाद में आवश्यक पक्षकार होने के कारण प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 13 को पक्षकार बनाया गया है जबकि वादीगण ने इनसे कोई रिलिफ नहीं चाही है।

दिनाँक 13.12.2017 को वादीगण द्वारा राज्य–सरकार को कानूनी नोटिस दिये जाने के बाद से बिनाय उत्पन्न हुआ जो लगातार हो रहा है।

प्रार्थना वादीगण है कि,

सरहद शेखाबासनी में खसरा नम्बर 133 रकबा 04.19 बीघा व खसरा नम्बर 134 रकबा 07.07 बीघा तथा खसरा नम्बर 164 रकबा 0.15 बीघा भूमि का खातेदार प्रतिकूल कब्जा एवं दस्तावेजात् के आधार पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे। वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 13 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01, 03 ता 08 व 10 के बावजूद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादीगण संख्या 02, 09 व 11 ता 13 की ओर से वाद में इकबालिया जवाब पेश हुआ।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 153/2018
दायर दिनाँक 16.05.2018, निर्णय दिनाँक 11.02.2019
रामाकिशन, वगैरा बनाम् तहसीलदार डीडवाना, वगैरा।

वाद के समर्थन में वादी ने, शपथ–पत्र, ग्राम–शेखावासनी सम्वत् 2071–2074 (पृष्ठ संख्या 01 ता 05) की प्रमाणित प्रतिलिपि, राज्य–सरकार को प्रेषित नोटिस की प्रति, पेश की है।

विद्वान वकुलाय की सारगर्भित बहस सुनी गयी। वकुलाय, वाद अनुतोष माफिक दावा डिक्री किये जाने पर सहमती की मंशा जाहिर कर रहे हैं। मिसल पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि सरहद शेखाबासनी में खसरा नम्बर 133 रकबा 04.19 बीघा व खसरा नम्बर 134 रकबा 07.07 बीघा तथा खसरा नम्बर 164 रकबा 0.15 बीघा भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त है तथा तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार भी वर्तमान में कब्जा काश्त वादीगण का ही चला आ रहा है। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ–1 15राजस्व/पुनर्वास/2009 जयपुर दिनांक अक्टुबर 06, 2009 के अनुसार ऐसी भुमियों के निस्तारण हेतु आंवटन समिति के समक्ष प्रस्तुत की जावें। अतः प्रकरण को आंवटन समिति के समक्ष पेश किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

हस्व दावा आंशिक डिक्री सादिर कर वाके सरहद शेखाबासनी में वादग्रस्त खसरा नम्बर 133 रकबा 04.19 बीघा व खसरा नम्बर 134 रकबा 07.07 बीघा तथा खसरा नम्बर 164 रकबा 0.15 बीघा भूमियों का निस्तारण हेतु आवंटन समिति के समक्ष पेश किया जावें तथा जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि में किसी प्रकार से दखलन्दाजी नहीं करें।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **11.02.2019** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner